न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/368

हेमराज आत्मज श्री रतन लाल जाति कंजर निवासी ग्राम रामनगर तहसील व जिला बून्दी।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र नारानीवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 08.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2018 विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, बून्दी जिला – बून्दी ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्ट को ग्राम गुढानाथावतान की आराजी खसरा नं. 702 रकबा 06 बीघा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 50 गुना शास्ति के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 14.10.2016 के द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.05.2018 के द्वारा अपील खारिज कर दी।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को प्रोपर नोटिस तामील नहीं करवाए हैं । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर से काफी समय पहले से ही कब्जा छोडा हुआ है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

4. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को प्रोपर नोटिस तामिल नहीं करवाएं है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । अपीलान्ट के विरूद्ध जो शास्ति आरोपित की गई है उसे निरस्त किया जावे । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने दौराने बहस यह कथन किया है कि शास्ति की राशि जमा नहीं करवायी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था । वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति आदि को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे ।

7. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

8. अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अपीलान्ट ने अपील मीमो में तावान राशि जमा कराने का कथन किया है परन्तु अपनी बहस में तावान की राशि जमा नहीं करवाने का कथन किया है । अपीलान्ट ने अपील मीमो को संशोधित नहीं किया है । ऐसी स्थिति में अपील मीमो के विपरीत कथन करने से वे एस्टोप्ड हैं । अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील में तावान राशि जमा कराने का कथन किया है । ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2018 बहाल रखा जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 08.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा